Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 210-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025 (AGRAHAYANA 27, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 दिसम्बर, 2025

संख्या 10/40/2023–2जे.जे.–1.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) नियम, 2013 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) नियम, 2013 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप–नियम (1),–

I. खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"(ख) अपर निदेशक की दशा में,–

(i) उप निदेशक अभियोजन में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग में समकक्ष पद पर नियमित सेवा में पहले से लगे हुए किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(खक) उप निदेशक अभियोजन की दशा में,–

(i) सहायक निदेशक अभियोजन में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग में समकक्ष पद पर नियमित सेवा में पहले से लगे हुए किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

टिप्पण:– प्रथम दृष्टांत, यदि अपेक्षित अनुभव के साथ सहायक निदेशक अभियोजन उपलब्ध नहीं है, नए पद का सृजन होते हुए, पद ज्येष्ठता एवं मेरीट के आधार पर जिला न्यायवादियों में से भरे जाएंगे, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 18(9) के साथ

Scanned with OKEN Scanner

पठित धारा 20 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुसार हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) सेवा तथा/अथवा हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप ख) सेवा के सदस्य और अधिवक्ता के रूप में पन्द्रह वर्ष का संयुक्त अनुभव रखते हों;

(खख) सहायक निदेशक अभियोजन की दशा में,—

(i) जिला न्यायवादियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग में समकक्ष पद पर नियमित सेवा में पहले से लगे हुए किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; "; तथा

II. खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) उप जिला न्यायवादी की दशा में,—

(i) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; तथा

(ii) 75 प्रतिशत सहायक जिला न्यायवादियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग में समकक्ष पद पर नियमित सेवा में पहले से लगे हुए किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	निदेशक अभियोजन (सामान्य)	1	एफ.पी.एल.—15 = 1,23,400—2,10,000/— रूपए
2.	निदेशक अभियोजन (विशेष)	1	एफ.पी.एल.—15 = 1,23,400—2,10,000/— रूपए
3.	अपर निदेशक अभियोजन	5	एफ.पी.एल.—14 = 1,23,100—2,09,600/— रूपए
4.	उप निदेशक अभियोजन	24	एफ.पी.एल.—14 = 1,23,100—2,09,600/— रूपए
5.	सहायक निदेशक अभियोजन	24	एफ.पी.एल.—13 = 88,400—2,02,600/— रूपए
6.	जिला न्यायवादी	63	एफ.पी.एल.—12 = 78,800—1,97,200/— रूपए
7.	उप जिला न्यायवादी	235	एफ.पी.एल.—11 = 67,700—1,91,000/— रूपए

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	निदेशक अभियोजन (सामान्य)	––	पदोन्नति द्वारा– जिसने अपर निदेशक अभियोजन के रूप में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो।
2.	निदेशक अभियोजन (विशेष)	––	पुनः पदाभिहित द्वारा– जिसने निदेशक अभियोजन (सामान्य) के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो।
3.	अपर निदेशक अभियोजन	––	पदोन्नति द्वारा– जिसने उप निदेशक अभियोजन के रूप में कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो। स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग में समकक्ष पद पर नियमित सेवा में पहले से लगे हुए किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;
4.	उप निदेशक अभियोजन	––	पदोन्नति द्वारा– जिसने सहायक निदेशक अभियोजन के रूप में कम से कम दों वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; तथा **टिप्पणः–** प्रथम दृष्टांत, यदि अपेक्षित अनुभव के साथ सहायक निदेशक अभियोजन उपलब्ध नहीं है, नए पद का सृजन होते हुए, पद ज्येष्ठता एवं मेरीट के आधार पर जिला न्यायवादियों में से भरे जाएंगे, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 18(9) के साथ पठित धारा 20 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुसार हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप क) सेवा तथा/अथवा हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप ख) सेवा के सदस्य और अधिवक्ता के रूप में पन्द्रह वर्ष का संयुक्त अनुभव रखते हों; स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग में समकक्ष पद पर नियमित सेवा में

Scanned with OKEN Scanner

			पहले से लगे हुए किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;
5.	सहायक निदेशक अभियोजन	––	पदोन्नति द्वारा– जिसने जिला न्यायवादी के रूप में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अभियोजन विभाग में समकक्ष पद पर नियमित सेवा में पहले से लगे हुए किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;
6.	जिला न्यायवादी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डीग्री (व्यवसायिक) ; (ii) अधिवक्ता के रूप में कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए प्रैक्टीस की हो; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;	पदोन्नति द्वारा– जिसने उप जिला न्यायवादी के रूप में कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो
7.	उप जिला न्यायवादी	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डीग्री (व्यवसायिक) ; (ii) अधिवक्ता के रूप में कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रैक्टीस की हो; तथा (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;	पदोन्नति द्वारा– जिसने सहायक जिला न्यायवादी के रूप में कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) उसने राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग में सहायक जिला न्यायवादी अथवा समकक्ष नियमित पद पर कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; **अथवा** सरकार के किसी विभाग या बोर्ड या निगम में विधि अधिकारी या समकक्ष नियमित पद पर कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो; तथा (ii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट ग

(देखिए नियम 14(1))

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	
1.	निदेशक अभियोजन (सामान्य)	सरकार	छोटी शास्तियां– हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित बड़ी शास्तियां– हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित	सरकार
2.	निदेशक अभियोजन (विशेष)			
3.	अपर निदेशक अभियोजन			
4.	उप निदेशक अभियोजन			
5.	सहायक निदेशक अभियोजन			
6.	जिला न्यायवादी			
7.	उप जिला न्यायवादी			

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट घ

(देखिए नियम 14(2))

क्रम संख्या	पदनाम	शास्ति का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	निदेशक अभियोजन (सामान्य)	(i) पेंशन को शास्ति करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति; (iii) सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु होने से पूर्व लोकहित में सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति।	सरकार "।
2.	निदेशक अभियोजन (विशेष)		
3.	अपर निदेशक अभियोजन		
4.	उप निदेशक अभियोजन		
5.	सहायक निदेशक अभियोजन		
6.	जिला न्यायवादी		
7.	उप जिला न्यायवादी		

डॉ० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

Scanned with OKEN Scanner

3675

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 18th December, 2025

No. 10/40/2023-2JJ(I).— In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Rules, 2013, namely:-

1. (i) These rules may be called the Haryana State Prosecution Department Legal Services (Group A) Amendment Rules, 2025.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Haryana State Prosecution Department Legal Service (Group A) Rules, 2013, (hereinafter called the said rules), in rule-9, in sub-rule (1),-

1. for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) In the case of Additional Director of Prosecution–

(i) by promotion from amongst the Deputy Director of Prosecution;

(ii) by transfer or deputation of an officer already in regular service on an equivalent post in Prosecution Department of any State Government or the Government of India.

(ba) in the case of Deputy Director of Prosecution –

(i) by promotion from amongst the Assistant Director of Prosecution; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in regular service on an equivalent post in Prosecution Department of any State Government or the Government of India.

Note:- In the first instance, if no Assistant Director of Prosecution with requisite experience is available, being newly created post, then the post may be filled up on seniority-cum-merit basis from amongst District Attorney, having combined experience of 15 years as a member of the Haryana Prosecution Department (Group-A) Legal Service and/or Haryana Prosecution Department (Group-B) Legal Service and an Advocate as per the requirement of section 20(2) read with section 18(9) of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act of 2023).

(bb) in the case of Assistant Director of Prosecution-

(i) by promotion from amongst the District Attorney;

(ii) by transfer or deputation of an officer already in regular service on an equivalent post in Prosecution Department of any State Government or the Government of India."

(II) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) In the case of Deputy District Attorney –

(i) 25% by direct recruitment; and

(ii) 75% by Promotion from amongst Assistant District Attorney; or

(iii) by transfer or deputation of an officer already in regular service on an equivalent post in Prosecution Department of any State Government or the Government of India."

3. In the said rules, for Appendices A, B, C and D, the following Appendices shall be substituted, namely:-

"Appendix A

(*See rule 3*)

Serial number	**Designation of Post**	**Number of Posts**	**Scale of Pay**
1	2	3	4
1.	Director of Prosecution (General)	1	FPL-15,=Rs.1,23,400- 2,10,000
2.	Director of Prosecution (Special)	1	FPL-15,=Rs.1,23,400- 2,10,000

Scanned with OKEN Scanner

3.	Additional Director of Prosecution	5	FPL-14,=Rs.1,23,100- 2,09,600
4.	Deputy Director of Prosecution	24	FPL-14,=Rs.1,23,100- 2,09,600
5.	Assistant Director of Prosecution	24	FPL-13,=Rs.88,400- 2,02,600
6.	District Attorney	63	FPL-12,=Rs. 78,800- 1,97,200
7.	Deputy District Attorney	235	FPL-11,=Rs.67,700- 1,91,000

Appendix B

(See rule 7)

Serial number	**Designation of Post**	**Academic Qualifications and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic Qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment**
1	2	3	4
1.	Director of Prosecution (General)	-	**By Promotion-** who has worked as Additional Director of Prosecution for a period of not less than one year.
2.	Director of Prosecution (Special)	-	**By re-designation-** Who has worked as Director of Prosecution (General) for a period of not less than three years.
3.	Additional Director of Prosecution	-	**By Promotion-** who has worked as Deputy Director of Prosecution for a period of not less than one year. **By transfer or deputation-** (i) by transfer or deputation of an officer already in regular service on an equivalent post in Prosecution Department of any State Government or the Government of India; and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
4.	Deputy Director of Prosecution	-	**By Promotion-** who has worked as Assistant Director of Prosecution for a period of not less than two years; Note:- In the first instance, if no Assistant Director of Prosecution with requisite experience is available, being newly created post, then the post may be filled up on seniority-cum-merit basis from amongst District Attorney, having combined experience of 15 years as a member of the Haryana Prosecution Department (Group-A) Legal Service and/or Haryana Prosecution Department (Group-B) Legal Service and an Advocate as per the requirement of section 20(2) read with section 18(9) of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act of 2023).

Scanned with OKEN Scanner

			By transfer or deputation (i) by transfer or deputation of an officer already in regular service on an equivalent post in Prosecution Department of any State Government or the Government of India, and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
5.	Assistant Director of Prosecution	-	**By Promotion-** (i) who has worked as District Attorney for a period not less than three years; **By transfer or deputation.** (ii) by transfer or deputation of an officer already in regular service on an equivalent post in Prosecution Department of any State Government or the Government of India; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.
6.	District Attorney	(i) Degree of Bachelor of Law (Professional) from recognized University; (ii) Should have practiced as an Advocate for a period not less than ten years; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education	**By promotion** who has worked as Deputy District Attorney for a period of not less than five years.
7.	Deputy District Attorney	(i) Degree of Bachelor of Law (Professional) from recognized University; (ii) Should have practiced as an Advocate for a period not less than five years; and (iii) Hindi Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education	**By promotion** (i) who has worked as Assistant District Attorney for a period of not less than five years. **By transfer or deputation-** (a) Who has worked as Assistant District Attorney or on equivalent regular post in any department of State Government or Government of India; or who has worked as Law Officer or on equivalent regular post in any department of Government or Board or Corporation for a period of not less than five years; and (b) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.

Scanned with OKEN Scanner

Appendix C

[See rule 14 sub-rule (1)]

Serial number	Designation of Post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
1.	Director of Prosecution (General)	Government	(i) **Minor Penalties-** As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016	Government
2.	Director of Prosecution (Special)		(ii) **Major Penalties-** As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Government
3.	Additional Director of Prosecution			
4.	Deputy Director of Prosecution			
5.	Assistant Director of Prosecution			
6.	District Attorney			
7.	Deputy District Attorney			

Appendix D

[See rule 14 sub-rule (2)]

Serial number	Designation of Post	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1.	Director of Prosecution (General)	(i) reducing or with holding the amount of amount of pension admissible under the rules governing pension; (ii) termination of service; (iii) premature retirement from service of the member of service in the public interest before attaining the age of superannuation	Government	-----
2.	Director of Prosecution (Special)			
3.	Additional Director of Prosecution			
4.	Deputy Director of Prosecution			
5.	Assistant Director of Prosecution			
6.	District Attorney			
7.	Deputy District Attorney			

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

12300—C.S.—H.G.P., Pkl.

Scanned with OKEN Scanner